

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(आर-519) अलेसे-I/ ५१७

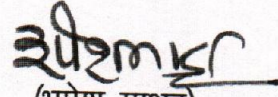
दिनांक:- 22/9/21

कार्यालय आदेश

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 5778-779 दिनांक 27.04.2015 के द्वारा श्री राजेश सेन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-॥ का दिनांक 01.05.2014 से 17.07.2014 तक (कुल 78 दिवस) असाधारण अवकाश स्वीकृत कर वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 11.06.2014 व 07.08.2014 के अन्तर्गत एक माह की अवधि से 48 दिवस अधिक का असाधारण अवकाश लिए जाने के फलस्वरूप परिवीक्षाकाल 2 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष 48 दिवस किया गया।

तत्पश्चात् निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 19433-19500 दिनांक 24.07.2015 द्वारा श्री राजेश सेन परिवीक्षाधीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-॥ (सीधी भर्ती-2011 बैच/2008 बैच) को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 34 के अन्तर्गत दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं लेखाकार आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप दिनांक 18.04.2015 को स्थायी किया गया था।

वित्त (नियम) विभाग के स्पष्टीकरण दिनांक 25.10.2019 के बिन्दु 2 के अनुसार श्री सेन का परिवीक्षाकाल 2 वर्ष 48 दिवस के स्थान पर 2 वर्ष कर इनको सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-॥ के पद पर दिनांक 18.04.2015 के स्थान पर दिनांक 01.03.2015 को स्थाई किया जाता है।

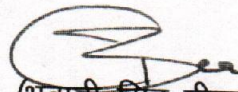

(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(आर-519) अलेसे-I/ ५१७

दिनांक:- 22/9/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा जवाजा जिला अजमेर।
2. श्री राजेश सेन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-॥, कार्यालय- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा जवाजा जिला अजमेर।
3. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. पदस्थापन सीट/रक्षित/निजी पत्रावली।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-॥)